सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न)
आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी
सीआईएनः यू63023डीएल2007पीएलसी165676

सं सी.आर.डब्लू.सी –VII / आईटी.पॉलिसी / 2015–16 / 4850 दिनांक: 15.02.2016

परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी सी.आर.डब्लू.सी.के अनुमोदन से सी.आर.डब्लू.सी.के निगमित कार्यालय के अंदर बाह्य स्टोरेज मीडिया (पेन ड्राइव , बाह्य हार्ड डिस्क ड्राइव आदि) को ब्लॉक / डिसेबल करने का निर्णय लिया गया है।

बाह्य स्टोरेज डिवाइसेस के प्रयोग पर संलग्न दिशा– निर्देश लागू होंगे । इस संबंध में सूचना प्रोद्योगिकी विभाग से किसी भी प्रकार का तकनीकी सहयोग लिया जा सकता है ।

अतः निगमित कार्यालय में कार्यरत सभी कार्मिको को सलाह दी जाती है कि वे इस नियम का अनुपालन कर सूचना प्रोद्योगिकी विभाग को सहयोग प्रदान करे ।

गौतम
15.2.16

(गौतम कुमार दास)
प्रबंधक(सूचना प्रोद्योगिकी)

वितरण :

1. सभी विभागाध्यक्ष, सी.आर.डब्लू.सी, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली ।
2. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, सी.आर.डब्लू.सी., निगमित कार्यालय, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि:

1. प्रबंध निदेशक की निजी सचिव,सी.आर.डब्लू.सी, निगमित कार्यालय , नई दिल्ली ।
2. कार्यकारी (आईटी) को सी आर डब्लू सी के वेब पोर्टल पर अपलोड करने क लिए ।

जीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालयः भूतल प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन, बिल्डिंग, नई दिल्ली–110001, दूरभाषः 011–23379418, फैक्सः 011–23379434
वैबसाइटः www.crwc.in

विषयः– बाह्य स्टोरेज डिवाइसेस के प्रयोग के सम्बन्ध में नीति क्रियान्वयन

इस नीति के अंतर्गत सी आर डब्लू सी, निगमित कार्यालय द्वारा जारी निम्नलिखित डिवाइस कवर होंगी:

1. यू.एस.बी. स्टोरेज डिवाइसेस ।
2. बाह्य हार्ड डिस्क ।

इन डिवाइसों के उपयोग पर निम्नलिखित दिशा निर्देश लागू होंगे :

1. सी आर डब्लू सी के निगमित कार्यालय में बाह्य स्टोरेज मीडिया की स्वयंमेव अनुमति नहीं होंगी । यदि बाह्य स्टोरेज का प्रयोग आवश्यक है तो इसके लिए सी आर डब्लू सी के सक्षम प्राधिकारी का विधिवत् अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।
2. सी आर डब्लू सी निगमित कार्यालय में सभी सिस्टम पर बाह्य स्टोरेज की पहुंच को ब्लॉक किया जायेगा ।
3. सरकारी कार्यालय के लिए मांग पत्र में निर्धारित समयावधि में उपयोगकर्ता सी आर डब्लू सी द्वारा जारी मिडिया का प्रोयोग करेंगे । मांग पत्र में निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने पर सम्बंधित व्यंक्ति द्वारा आइटम आई टी टीम को वापिस किया जायेगा । उपयोगकर्ता डिवाइस की अभिरक्षा तथा इसमें स्टोर विषय वास्तु के लिए स्वयं उत्तदायी होंगे ।
4. उपयोगकर्ता द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति यू इस. बी. डिवाइस सी आर डब्लू सी निगमित कार्यालय के किसी सिस्टम पर लगाने की अनुमति नही दी जाएगी ।

आगुन्तक द्वारा बाहरी स्टोरेज मीडिआ का प्रयोग :

1. संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे की सीआरडब्लूसी में आने वाले व्यक्ति बिना अनुमति लिए पोर्टेबल मीडिया न लाएं और न लेकर जाएं ।
2. यदि किसी कारण से आगुन्तक को यू.एस.बी. मेमोरी डिवाइस का प्रोयोग करने की अनुमति देना आवश्यक है तो उस स्तिथि में उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद केवल निर्धारित सिस्टम पर ही इसका प्रोयोग किया जायेगा ।

दिशा-निर्देश

1. बाह्य स्टोरेज डिवाइस की मांग करने वाले कार्मिक को मांग पत्र भरकर देना होगा ।
2. जिन कार्मिको ने सी आर डब्ल्यू सी निगमित कार्यालय से बाह्य स्टोरेज डिवाइसेस प्राप्त कर रखी है, उन्हें निर्धारित उद्देश्य पूरा होने अथवा स्थानांतरण/ सी आर डब्ल्यू सी छोड़ते समय वापिस मांगी जाएगी।

जारीकर्ता अधिकारी द्वारा तीन महीने के नियमित अंतराल पर सम्बंधित व्यक्तियों से यू.एस.बी. के सत्यापन के लिए उपयोग कर्ता से स्वाम प्रमाणन प्राप्त करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की उन्हें जारी की गयी डिवाइसेस उनकी अभिरक्षा में सुरक्षित है ।

कृपया ध्यान दे :– सभी बाह्य डिवाइसेस (पेन ड्राइव , बाह्य हार्ड डिस्क ड्राइव आदि) से सम्बंधित मामला सूचना प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा देखा जायेगा